संख्या-48/2015/वे0आ0-2-784/दस-54(एम)/2008टी0सी0

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(1) समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,उ0प्र0 शासन।
(2) अभियन्त्रण विभागों के समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक: 25 अगस्त, 2015

विषय- वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों के संदर्भ में कार्य प्रभारित कार्मिकों के लिये राजकीय कर्मियों के सादृश्य पर भत्तों, सुविधाओं तथा पेंशन की देयता पर विचार हेतु प्रमुख सचिव वित्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा दी गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णय के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों के संदर्भ में कार्य प्रभारित कार्मिकों के लिये राजकीय कर्मियों के सादृश्य पर भत्तों, सुविधाओं तथा पेंशन की देयता पर विचार हेतु प्रमुख सचिव वित्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा दी गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयानुसार निम्न व्यवस्था लागू करने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:--

(1) दिनांक 01 अप्रैल 2005 से एवं उसके बाद की तिथि से विनियमित किये गये कार्यप्रभारित कर्मचारी नई पेंशन योजना से आच्छादित होगें।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(2) दिनांक 01 अप्रैल 2005 से पूर्व विनियमित हुए ऐसे कार्यप्रभारित कर्मचारी, जिन्होने 10 वर्ष की सेवा नियमित अधिष्ठान में पूरी कर ली है वह नियमानुसार दिनांक 31 मार्च, 2005 तक लागू रही पुरानी पेंशन योजना के पात्र माने जायेगें।

(3) दिनांक 01 अप्रैल 2005 से पहले विनियमित होने वाले तथा विनियमितीकरण के पश्चात् 10 वर्ष की सेवा पूर्ण किये बिना सेवानिवृत्त होने वाले कार्यप्रभारित कर्मचारी सिविल सर्विसेज रेग्युलेशन (सी0एस0आर0) के अनुच्छेद-370 तथा सी0एस0आर0 के अनुच्छेद-475 (बी) में दी गयी व्यवस्था के अनुसार पुरानी पेंशन योजना के पात्र नहीं हो सकते हैं, क्योंकि पुरानी पेंशन योजना के अन्तर्गत पेंशन की अर्हता हेतु न्यूनतम 10 वर्ष की नियमित सेवा अनिवार्य है।

(4) कार्यप्रभारित अवधि की सेवा पेंशन हेतु जोड़े जाने के लिये मा0 उच्च न्यायालय/मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित वाद/वादों में मा0 न्यायालय के आदेशों की अद्यतन स्थिति से प्रशासनिक विभागों द्वारा अवगत कराये जाने पर उसके परिप्रेक्ष्य में विचार किया जा सकेगा। सिविल सर्विसेज रेगुलेशन में कार्यप्रभारित अधिष्ठान की सेवा को पेंशन हेतु अर्ह नहीं माना गया है।

(5) वर्तमान में वर्कचार्ज के रूप में कार्यरत महिला कर्मचारियों को प्रसूति अवकाश राजकीय कर्मियों की भॉति दिया जाय।

(6) ऐसे भत्ते/सुविधायें, जो कार्यप्रभारित कर्मचारियों को राजकीय कर्मचारियों के सादृश्य अनुमन्य नहीं हैं, की अनुमन्यता के सम्बन्ध में अब नये सिरे से विचार किये जाने का औचित्य नहीं रह गया है।

2- राजकीय विभागों के कार्य प्रभारित कार्मिकों को भत्तों, सुविधाओं तथा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

पेंशन/तत्क्रम में देय लाभ इस शासनादेश द्वारा की जा रही व्यवस्था के अन्तर्गत अनुमन्य कराये जायेगे।

भवदीय,

अजय अग्रवाल

सचिव।

संख्या-48/2015/वे0आ0-2-784(1)/दस-54(एम)/2008टी0सी0,तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-1 एवं 2 तथा आडिट-1 एवं 2 उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2- समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
4- प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
5- निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश।
6- निदेशक, अधीष्ठान पुनरीक्षण ब्यूरो, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश।
7- उत्तर प्रदेश सचिवालय के समस्त अनुभाग।
8- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

रमेश कुमार त्रिपाठी

संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।